

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	<p style="text-align: center;">आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर</p> <p style="text-align: center;"><i>शास्त्र वाडा नं 118/14</i></p>	आदेश पर की गई कार्रवाई में टिप्पणी तारीख के साथ
11/12/2014	<p style="text-align: center;">सारण समाहरणालय, छपरा।</p> <p style="text-align: center;">न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा। जिला विधि प्रशाखा</p> <p style="text-align: center;">मुकेश भट्ट, पिता-विधा शर्मा, मो0-आदर्श कॉलोनी श्यामचक, थाना-भगवान बाजार, जिला-सारण आदेश</p> <hr/> <p>प्रस्तुत शस्त्रवाद पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 5448/गो0 9.12.14 के द्वारा आवेदक मुकेश भट्ट, पिता-विधा शर्मा, मो0-आदर्श कॉलोनी श्यामचक, थाना-भगवान बाजार, जिला-सारण का एक पिस्टल/रिवाल्वर की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ प्राप्त पुलिस जाँच के उपरान्त आरम्भ किया गया है।</p> <p>आवेदक को सुना एवं अभिलेख में संधारित पुलिस जाँच प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया।</p> <p>आवेदक के द्वारा बताया गया कि वे भिट्टों का व्यवसायी करते हैं। व्यवसायी के काम में इन्हें पैसा वसूली के लिए धरावर बाहर जाना पड़ता है। दूर-दराज से पैसा लेकर रात्रि में आना पड़ता है। इसलिए अपने जानमाल पर खतरे की आशंका को देखते हुए एक पिस्टल/रिवाल्वर की अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया।</p> <p>आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर जाँचोपरान्त पुलिस निरीक्षक-सह-थानाध्यक्ष, भगवार बाजार के ज्ञापांक 1902 दिनांक 8.9.14 के द्वारा विहित प्रपत्र में अपना प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, छपरा के ज्ञापांक 2387 दिनांक 8.12.14 के द्वारा भेजा गया। तत्पश्चात् अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के पत्रांक 2027 दिनांक 9.12.14 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन को पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 5448/गो0 दिनांक 9.12.14 के द्वारा प्रेषित किया गया।</p> <p>अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन एवं आवेदक को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस अधीक्षक, सारण के द्वारा अपने प्रतिवेदन में आवेदक के उपर व्याप्त खतरे के मद्देनजर उन्हें शस्त्र की अनुज्ञप्ति देने</p>	

*[Handwritten Signature]*

